न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 06/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि. पूर्व में (मेन्टोर इण्डिया लिमिटेड) पता– प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस, गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर।

... प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. श्रीकान्त शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा
2. कविता देवी पत्नी श्रीकान्त शर्मा

निवासीः– पट्टा नम्बर 06, ग्राम पंचायत दूध वालों का बास, पंयाचत समिति खण्डेला, जिला सीकर (राज.)।

3. गुरवीर सिंह बलोदा पुत्र शिशराम बलोदा, निवासी :– प्लॉट नम्बर 31, श्री बालाजी नगर–चतुर्थ, रामपुरा डाबरी, सीकर रोड़ के पास, जिला जयपुर।

....अप्रार्थी (ऋणी/सहऋणी/गारन्टर)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 25 फरवरी, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सूरज शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **श्रीकान्त शर्मा, कविता देवी, गुरवीर सिंह बलोदा** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **अचल सम्पति पट्टा नम्बर 06, ग्राम पंचायत दूधवालों का बास, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर में स्थित है जो श्रीकान्त महर्षि पुत्र बृजमोहन शर्मा के नाम पर है,** को बंधक रखकर **9,00,000**/–रूपये (अक्षरे रूपये **नौ लाख** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **04.07..2018** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से वकील श्री सतीश कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की माता पिछले कुछ वर्षों से केंसर से पीड़ित है और पिता वृद्ध व बीमार रहते हैं। परिवार में और कोई कमाने वाला नहीं है और प्रार्थी की नौकरी छूट गई है तथा प्रार्थी बेरोजगार है, जिसके कारण प्रार्थी समय पर किश्त जमा नहीं करवा सका। प्रार्थी का खराब परिस्थितियों कों देखते हुए बैंक की बकाया किश्त जमा करवाने हेतु कुछ समय दिया जाना प्रार्थनीय है।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन कियां गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **04.07..2018** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी द्वारा नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस में सम्बन्धित बैंकिग संस्थान में पुनः निर्धारण हेतु आवेदन किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **श्रीकान्त शर्मा, कविता देवी, गुरवीर सिंह बलोदा** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **अचल सम्पति पट्टा नम्बर 06, ग्राम पंचायत दूधवालों का बास, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर में स्थित है जो श्रीकान्त महर्षि पुत्र बृजमोहन शर्मा के नाम पर है,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः २५ **फरवरी, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner